न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी महावीर प्रसाद शर्मा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 78/2016 अपील

उनवान

श्री हरनारायण पिता शंकर माली निवासी– 31/296, माली खेडा, माणिक्य नगर, नेहरू रोड़, जिला भीलवाडा (राज0)

–– अपीलार्थी

बनाम

1. श्री बंशी लाल पिता शंकर माली
2. प्यारी पत्नि शंकर लाल माली निवासीयान् 31/296, माली खेडा, माणिक्य नगर, नेहरू रोड़, भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा, जिला–भीलवाडा (राज0)

––प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार बनेडा, बमामले नामान्तरकरण संख्या 2225, निर्णय दिनांक 27.01.2007

उपस्थित :– श्री विकास जायसवाल अधि0 अपीलार्थी की ओर से !
श्री अनुराग अधि0 विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से !
श्री राजकीय अधि0 विपक्षी संख्या 3 की ओर से !

निर्णय

दिनांक : **09/03/2017**

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार बनेडा, बमामले नामान्तरकरण संख्या 2225, निर्णय दिनांक 27.01.2007 के खिलाफ दिनांक 06.10.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी हरनारायण की पैतृक कृषि आराजीयात जमाबन्दी खाता संख्या 754 कुल आराजी किता 17 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा जो हरनारायण के पैतृक कृषि भूमि हैं। उक्त आराजी भू–भाग अपीलार्थी के पिता शंकर लाल पिता बालु माली के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज थी उसके उपरान्त शंकर पिता बालु माली के वारिसान में अपीलार्थी हरनारायण पिता शंकर माली, बंशी लाल पिता शंकर माली, प्यारी पत्नि शंकर माली के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने चाहिए किन्तु राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियो की लापरवाही से अपीलार्थी हरनारायण पिता शंकर माली की जगह नारायण पिता शंकर माली के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई। वाद ग्रस्त आराजीयात पर अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 काबिज होकर उसका उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। मृतक शंकर माली के नारायण नाम का कोई पुत्र न था और न है बल्कि हरनारायण हैं।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अपील मेमो में यह भी अनुरोध किया है कि ग्राम चमनपुरा तहसील बनेडा में स्थित खाता संख्या 381 आराजी नम्बर 7/1 रबका 11.10 बीघा व ग्राम बनेडा के आराजी नम्बर 3699, 3685, 3693, 3694, 3695, 3696, 3997, 3698, 3700 व 3682, 3684, 3701 तथा 3219 राजस्व रिकार्ड में शंकर पिता बालु माली की मृत्यु के बाद शंकर पिता बालु माली के वारीसान के रूप में हरनारायण, बंशी लाल पिता शंकर माली, प्यारी बेवा शंकर माली के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया गया। उसी अनुसार प्रस्तुत अपील मेमो में वर्णित कृषि भूमि का नामान्तरकरण निर्णित किया जाना चाहिए था, न्याय हित में दुरूस्त किया जाना आवश्यक हैं।

अपील मेमो में यह भी कथन किया है कि वाद ग्रस्त आराजी में स्व. शंकर माली के देहान्त के समय नियमानुसार हक हिस्सा रहा और अपीलार्थी अपने हक हिस्से पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा हैं। उक्त गलत नामान्तरकरण की जानकारी अपीलार्थी को पूर्व में नही रही। अभी हाल ही में अपीलार्थी ने हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो उक्त गलत नामान्तरकरण की जानकारी हुई। इस पर दिनांक 30/09/2016 को नामान्तरकरण की नकल के लिए आवेदन किया। नामान्तरकरण की नकल प्राप्त हुई तब प्रथम बार विवादित नामान्तरकरण की जानकारी हुई। जिससे जानकारी दिनांक से यह अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है विलम्ब को क्षमा कराने के लिए दफा 5 कानून मियाद प्रार्थनापत्र अलग से प्रस्तुत हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कराई जाकर विवादित नामान्तरकरण निर्णय एवं आदेश दिनांक 27/01/2007 निरस्त कराया जावें तथा अपीलार्थी का नाम नारायण के बजाय हरनारायण राजस्व रिकार्ड में प्रत्यर्थीगण के साथ बराबर हक हिस्से अनुसार दर्ज कराया जावें।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 24/10/2016 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थीगण को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किये गये तथा अपीलाधीन आदेश सम्बधी रिकार्ड तलब किया गया। रिकार्ड उपलब्ध होने पर दिनांक 01/03/2017 दोनो पक्षों की लायक अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

सर्व प्रथम अपील मेमो के साथ प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दफा 5 कानूनी मियाद पर विचार किया जाकर मियाद के बिन्दु पर विचार किया जा रहा हैं। प्रार्थी ने अपने आवेदन में विवादित नामान्तरकरण की जानकारी के बारे में हल्का पटवारी से जानकारी होने का उल्लेख करते हुए दिनांक 30/09/2016 को नामान्तरकरण की प्रतिलिपी के लिए आवेदन प्रस्तुत करना बताया नामान्तरकरण की प्रति प्राप्त होने पर जानकारी होने का अंकन अपने आवेदन में किया हैं। प्रार्थनापत्र के सर्मथन में अपना शपथपत्र भी प्रस्तुत किया। प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के खण्डन में किसी प्रकार जवाब अथवा प्रतिशपथपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थनापत्र व उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र पर अविश्वास करने का कारण न्यायालय के समक्ष नही हैं। सामान्य न्याय सिद्धान्तो को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दफा 5 कानून मियाद प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा

अब अपील मेमो के गुणावगुणों पर विचार किया जा रहा हैं। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील मेमो में विवाद का विषय यह रहा कि अपीलार्थी के पिता शंकर माली के स्वर्गवास होने पर विरासत से विवादित नामान्तरकरण संस्थित कर निर्णित करते समय अपीलार्थी का नाम हरनारायण के स्थान पर नारायण अंकित किया गया। यह एक लिपिकीय त्रुटि भी हैं। इसके अतिरिक्त पक्षकारान के ग्राम बनेडा व चमनपुरा में उनके मृतक पिता शंकर माली के निधन पर विरासत से जो नामान्तरकरण संस्थित कर निर्णित किये हैं उनमें अपीलार्थी का नाम हरनारायण अंकित किया हैं। प्रत्यर्थीगण ने भी अपीलार्थी के अपील मेमो का कोई खण्डन नही किया ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य ठहराई जाती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार बनेडा, बमामले नामान्तरकरण संख्या 2225, निर्णय दिनांक 27.01.2007 के क्रम में स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बनेडा द्वारा दिनांक 27/01/2007 को पारित किया गया आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार बनेडा को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वाके ग्राम बनेडा, तहसील बनेडा जमाबन्दी खाता संख्या 1364 नामान्तरकरण संख्या 2225 निर्णय दिनांक 27/01/2007 के क्रम में अजसरे नामान्तरकरण संस्थित किया जाकर अपीलार्थी का नाम प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के साथ–साथ समान्न हक हिस्से के अनुसार हरनारायण पिता शंकर माली दर्ज किया जावें। तलबी रिकार्ड मय निर्णय प्रति के तहसीलदार बनेडा को पालनार्थ लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 09/03/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद शर्मा)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा